



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

2026:RJ-JD:19427

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3212/2026

1. Abdul S/o Moti, Aged About 35 Years, R/o Sabbal Pura, Police Thana Kushalgarh, District Banswara Raj. (Presently Lodge In Dist. Jail Banwara)
2. Kalu Alias Kalu Singh S/o Moti, Aged About 28 Years, R/o Sabbal Pura, Police Thana Kushalgarh, District Banswara Raj. (Presently Lodge In Dist. Jail Banswara)

-----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Vijay Kumar
For Respondent(s)	: Mr. Prem Singh panwar, PP with Mr. Om Prakash Choudhary

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

24/04/2026

01. प्रार्थीगण—अभियुक्तगण की ओर से जमानत का यह आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिस थाना कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 378/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 3/8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के मामले में प्रस्तुत हुआ है।
02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण—अभियुक्तगण का तर्क है कि इस मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। सह—अभियुक्त गट्टू उर्फ गटुलाल की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन संख्या 15085/2025 इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 08.01.2026 को स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी का मामला सहअभियुक्त गट्टू उर्फ गटुलाल से भिन्न नहीं है। विचारण में समय लगने की सम्भावना है। इन आधारों पर प्रार्थीगण—अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।
04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।



05. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। सह-अभियुक्त गट्टू उर्फ गट्टुलाल की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन संख्या 15085/2025 इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 08.01.2026 को स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी का मामला सहअभियुक्त गट्टू उर्फ गट्टुलाल से भिन्न नहीं होना बताया गया है। विचारण में समय लगने की सम्भावना है। विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण-अभियुक्तगण **01. अब्दुल पुत्र मोती, 02. कालु उर्फ कालुसिंग पुत्र मोती** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में प्रत्येक प्रार्थी-अभियुक्त एक-एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J